न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2024 निर्णय दिनांकः– 01-04-2026
(जीसीएमएस संख्या 2024/30)

1. शंकरलाल पुत्र श्री खुमाणराम जाति कुम्हार उम्र 62 वर्ष निवासी 3 पी.एच. एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक शुन्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाषचंद जालप, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मुकान बीकानेर के आदेश दिनांक शुन्य जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजूवाला में चक 32 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 145/16 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न किय थे। अपीलार्थी द्वारा कई बार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर के कार्यालय एवं तहसील खाजूवाला मे अपने द्वारा किये गये आवेदन के संबंध में सुचना चाही परन्तु इन कार्यालयों से अपीलार्थी को कोई संतोषजनक जवाब नही मिला। तत्पश्चात् अपीलांट ने उक्त आवेदन के संबंध में जानकारी चाही तब उन्हे ज्ञात हुआ कि तहसील खाजूवाला वर्तमान मे उपनिवेशन से रेवेन्यू में आ चुका है। अपीलार्थी ने स्वयं द्वारा किये गये आवेदन पर हुई कार्यवाही की नकल प्राप्त करने के लिये अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 17.01.2024 को आवेदन किया। दिनांक 24.03.2024 को नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा की गई कृषि भूमि का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित नही आने के कारण दिनांक शुन्य को खारिज कर दिया गया। अपीलांट का आवेदन खारिज किये जाने से पूर्व उन्हे किसी प्रकार की सूचना या नोटिस अपीलार्थी को तामिल नही हुआ। इस प्रकार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर द्वारा आवेदन की गई कृषि भूमि का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित नही हाने के कारण दिनांक शुन्य को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलार्थी को न सुनकर एक तरफा की गई जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। अपीलाधीन आदेश अदिनांकित है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील खाजूवाला के चक 32 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 145/16 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट/प्रार्थी बावजूद सूचना के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनुपस्थित/अतः अदम साक्ष्य सबूत अदम हाजिरी में प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। आरआरटी 2014-15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh.**

एआई आर 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 542 में भी यह अभिधारित किया है कि **The impugned order was passed without hearing the present appellants despite they being party respondent in the writ petition, we are of the considered view that the impugned order in not legally sustainable.**

उक्त दोनो नजीर प्रकरण में पुर्णतया सही चस्पा होती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि यदि गजट में नोटिफाईड हो, अनआवेदित हो, आराजीराज हो एवं अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01-04-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर